फा.सं. 3.12(1)/ 2016-सा.I
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110069

दिनांक :31.08.2016

सेवा में

....
....
....

विषय: ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं रख-रखाव) नियमावली, 2011 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुप्रयोज्य / अनुपयोगी मदों के निपटान के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (नि.आ.सू.) के संबंध में ।

प्रिय महोदय,

नीचे दी गई समय सारणी के अनुसार "मदों की सूची में " दी गई अनुप्रयोज्य / अनुपयोगी / ई-वेस्ट मदों के निपटान के लिए सीलबंद बोलियाँ आमंत्रित की जाती है :-

(i)	निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख एवं समय	:	दिनांक **23.09.2016 को 3.00** बजे अपराह्न तक
(ii)	निविदा प्राप्त करने का स्थान	:	इस कार्यालय के स्वगत कक्ष 'सी' गेट पर रखे गए निविदा बॉक्स में
(iii)	निविदा खोलने की तारीख एवं समय	:	दिनांक **23.09.2016 को 3.30** बजे अपराह्न में
(iv)	निविदा खोलने का स्थान	:	कमरा सं. 101, आयोग सचिवालय भवन

टिप्पणी : इस कार्यालय के लिए उपर्युक्त तारीखों में से किसी तारीख को अवकाश / बंद दिवस घोषित होने की स्थिति में निविदा / बोली अगले कार्य दिवस पर नियत समय में प्राप्त /खोली जाएंगी ।

2. **<u>देर से प्राप्त बोली</u>**:

2.1 विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा ।

2.2 अधूरी बोलियों को बोलियों को प्राप्त करने के नियत समय की समाप्ति के बाद बोली में किसी संशोधन एवं अभिवर्धन की अनुमति नहीं होगी और ऐसी बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है ।

3. **<u>जमा धरोहर राशि (ई एम डी)</u>**

3.1 <u>जमा धरोहर राशि:</u> बोली के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली- 110069 के पक्ष में देय 10,000/- रू. (दस हजार रू. मात्र) की जमा धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर / बैंकर्स चेक संलग्न किया जाना चाहिए जमा धरोहर राशि के बिना बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और अन्य किसी रूप में जमा धराहर राशि अर्थात् चेक, नकद/ पोस्टल आर्डर आदि पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3.1.1 जमा धरोहर राशि अंतिम निविदा वैधता अवधि से परे <u>45 दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी</u>

3.1.2 सभी असफल बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत जमा धरोहर राशि सामग्री के अंतिम निपटान के बाद उन्हें बिना किसी ब्याज के चाहे जो भी हो, लौटा दी जाएगी ।

4 **<u>निबंधन एवं शर्तें</u>**:

4.1 बोलीदाताओं को संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध) के अनुसार बिना शर्त के दरों का उल्लेख करना चाहिए न कि पृथक - पृथक दरों का ।

4.1.2 ई-वेस्ट से संबंधित केवल पंजीकृत फर्मों से बोलियां आमंत्रित की जाती है और पंजीकृत फर्मो के अलावा अन्य फर्मों से प्राप्त बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

4.1.3 बोलियों के खुलने की तारीख से बोलियां स्वीकृति के लिए छः महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी । कम वैधता अवधि वाली बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

4.2 श्री अनिल कुमार, अवर सचिव (बै. एवं अनु.) सं.लो.से.आ., नई दिल्ली-110069 को संबोधित मुहरबंद निविदाएं जिस पर मोटे अक्षरों में "अनुप्रयोज्य / अनुपयोगी कम्प्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रानिक (ई-वेस्ट) मदों के लिए निविदा" लिखा हो जिन्हें **23.09.2016 को 3.00 बजे** अपराह्न तक स्वागत कक्ष के "सी" गेट पर रखे निविदा बाक्स में डाली जानी चाहिए ।

4.3 अनुपयोगी सामग्री को उच्च्तम स्वीकार्य प्रभावी बोलीदाता (एच - I) द्वारा आयोग के कैशियर के पास सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर/ बैंकर्स चेक के रूप मे पूरी धनराशि जमा करने के बाद आदेश प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर "जैसा है जहां है के आधार पर" हटाना होगा । जमा धरोहर राशि को सफल बोलीदाता के अनुरोध पर अंतिम भुगतान के विरूद्ध समायोजित की जा सकती है अथवा जमा धरोहर राशि को निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को हटाने के बाद लौटा दिया जाएगा । यदि उक्त सामग्री को निर्धारित समय के भीतर नहीं हटाया जाता है तो धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इसके कारण होने वाली हानि, जो भी हो को बोलीदाता से वसूला जाएगा ।

4.4 सामग्री का निरीक्षण **13.09.2016 से 20.09.2016 तक कार्यालय परिसर में 3.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे सायं** तक संभावित बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा सावधानीपूर्वक करना होगा और निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है । इसके अतिरिक्त उपर्युक्त निरीक्षण के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा ।

4.5 स्थल से नीलामी की गई वस्तुओं को हटाते समय आयोग अथवा सरकार की मौजूदा संपत्ति को हटाने के कारण कोई क्षति नहीं होनी चाहिए । सफल बोलीदाता अथवा उसके प्राधिकृत श्रमिक / पर्यवेक्षक की लापरवाही अथवा कार्रवाई के कारण सरकार / आयोग को कोई हानि/ क्षति अथवा किसी व्यक्ति को चोट लगने अथवा व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए सफल संविदाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति करनी होगी ।

4.6 सामान / सामग्री को आयोग के नामोदिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) के पर्यवेक्षण में हटाया जाएगा । सामग्री को आदेश की प्राप्ति से 5 दिन के भीतर हटाना होगा । साधारण परिस्थिति में समय को बढ़ाया नहीं जाएगा । तथापि, अपर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग 2 दिन को बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते संविदाकर्ता द्वारा लिखित में ऐसे विलंब के लिए पूरे कारण बताते है । निर्धारित समय से परे विलंब होने पर संघ लोक सेवा आयोग को आदेश को निरस्त करने और संविदाकर्ता की जमा धरोहर राशि को जब्त करने का हक होगा।

4.7 सामान / सामग्री को केवल कार्यालय समय के दौरान ही हटाने की अनुमति होगी । वस्तुओं को छुट्टी के दिन अथवा कार्यालय समय के बाद हटाने की अनुमति दी जाएगी । सफल बोलीदाता कभी अनुपयोगी सूचीबद्ध मदों को ले जा सकेंगे और न कि चयनित मदें।

4.8 अनुपयोगी मदों के निपटान के संबंध में इसके अंतर्गत या इससे बाहर उठे सभी प्रश्नों, विवादों या अंतर को भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को पूर्ण मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा |

4.9 सभी बोलीदाता इन्वायरमेंट फ्रेन्डली तरीके से इनके निपटान / पुन: चक्रण को ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं रखरखाव) नियमावली 2011 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे ।

4.10 सचिव, संघ लाक सेवा आयोग के पास बिना कारण बताए किसी बोली को पूर्णतय अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है । यदि वे महसूस करते है कि समुचित प्रापण प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाता हे और / या उनकी निविदा गलत ढंग से अस्वीकार की गई है तो वे बोलीदाता सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को संबांधित करते हुए अपना अभ्यावेदन भेज सकते है ।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव (बै. एवं अनु.)
संघ लोक सेवा आयोग
दूरभाष: 23382415

<u>वेब आधारित विज्ञापन के लिए वेबसेल को प्रति अग्रेषित ।</u>

<u>अनुबंध</u>

<u>संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय से अनुप्रयोज्य / अनुपयोगी मदों (ई- वेस्ट) की खरीद के लिए बोलियां प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप</u>

1. फर्म का नाम और पता : ....

2. संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम :..

3. टेलीफोन नं. :
   (आवास):..
   (कार्यालय): ....
   (मोबाइल): ....
   (फैक्स): ....

4. आयकर खाता सं. ....

5. संलग्न जमा धरोहर राशि का ब्यौरा: बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर सं. ....
   दिनांक .... धनराशि :-

6. कोटेशन:
   धनराशि :..............................रू. में
   धनराशि (शब्दों में) :.................................रू.

7. क्या अद्‌यतन आयकर निकासी की प्रति संलग्न की गई है : <u>हां / नहीं</u>

8. बोलीदाता का नाम औा हस्ताक्षर:

Appendix

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATEMENT FOR RESERVE PRICE FOR E WASTE

S. NO.	NAME OF ITEMS	TOTAL QUANTITY	
	Computers (CPU)		
1	Wipro Celeron	1	8
2	Wipro p-3	2	
3	PCS	2	
4	HP 2280	3	
5	**Monitors**	36	36
	Printers		
6	Canon	10	48
7	TVS 245/255/355	15	
8	LQ 1050	3	
9	HP 5610	3	
10	HP 1200	6	
11	HQ 1000	1	
12	DJ 840	2	
13	DJ 695 /692	3	
14	HP 6500	1	
15	HP djR 45	1	
16	HP Officejet v 40	1	
17	DJ 5550	1	
18	CP 1700	1	
19	Key Boards	88	88
20	Photocopiers	5	5
21	Fax Machine	14	14
22	Lamination Machine	1	1
23	Electronic Typewriter	3	3
24	HP Scanner 2600	2	2
25	HP Scanner 5300C	1	1
26	HP Scanner 3500C	1	1
27	Scanner	1	1
28	Blank Cartidges	12 Guny Bags	12 Guny Bags
29	UPS Battries	80	80
30	Computer Hardware Scrap	450 Kg approx.	450 Kg approx.
31	Fridge Mini Bar	1	1
32	Cofee Maker (Make Black and Deakor)	1	1
33	Old TV(Philips)	1	1
34	Refrigrator (medium)	1	1
35	Air Purifier	2	2
36	Window AC (1.5 TR)	10	10
37	Split AC 2.0 TR (Outdoor + Indoor)	2	2
38	UPS	15	15
39	OMR's LPM line Printer(ASB) 2563 B	1	1
40	LPM Printer(ASB) 2567 B	1	1